रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2015/माघ 17, 1936
No. 294] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2015/MAGHA 17, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2015

का.आ. 382(अ).—पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में, कतिपय संशोधन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन प्रारूप अधिसूचना, जो का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा जारी की गई थी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्यांक 2545(अ), तारीख 30 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 30 सितंबर, 2014 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऊपर वर्णित प्रारूप अधिसूचना के जवाब में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के पैरा 7 (i) में,--

(क) 'प्रक्रम (2)- विस्तारण' से संबंधित उपपैरा II के खंड (i) में, पहले परंतुक में मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित

मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(ii) अनुसूची की मद 7(च) के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि (i) और स्तंभ (4) की प्रविष्टि (i) के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती राज्यों में की सभी राजमार्ग परियोजनाएं;

(iii) अनुसूची की मद 7(च) के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि (ii) और स्तंभ (4) की प्रविष्टि (ii) के अंतर्गत आने वाली सभी राजमार्ग विस्तारण परियोजनाएं;

(ख) 'प्रक्रम (3)- लोक परामर्श' से संबंधित उपपैरा III के खंड (i) में, उप-खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) सीमावर्ती राज्यों में राजमार्ग, पाइपलाइन, आदि जैसी सभी अनुरेखीय परियोजनाएं ।"

[फा. सं.2-33/2014-आईए-III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसको निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंम्बर, 2009;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंम्बर, 2012;
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013;
8. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014; और
9. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2015

S.O. 382(E).—Whereas, a draft notification under sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, issued vide number S O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 2545(E), dated the 30th September, 2014 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 30th September, 2014;

And whereas, no objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification by the Central Government;

IndiaCode

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:—

In the said Environment Impact Assessment Notification, 2006 in paragraph 7 (i),—

(a) in sub- paragraph II relating to Stage (2)- Scoping, in clause (i), in the first proviso, for item (ii), the following items shall be substituted, namely:—

"(ii) all Highway projects in border States covered under entry (i) of column (3) and entry (i) of column (4) against item 7 (f) of the Schedule;

(iii) all Highway expansion projects covered under entry (ii) of column (3) and entry (ii) of column (4) against item 7 (f) of the Schedule;

(b) in sub-paragraph III relating to Stage (3)- Public Consultation, in clause (i), after sub-clause (f), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(g) all linear projects such as Highways, pipelines, etc., in border States."

[F. No. 2-33/2014-IA-III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012;
5. S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2559(E), dated the 22nd August, 2013 ;
7. S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013;
8. S.O. 562(E), dated the 26th February 2014; and
9. S.O. 1599(E), dated the 25th June, 2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.